

To,

The Registrar(General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi .

No. 12701 OA-774/2022

Date 23/11/22

Subject : In compliance of order dated 21-10-2022 passed by NGT on OA No 774/2022 titled by Gaurav Garg Vs Union of India & Ors.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal has directed that
".....Notices along-with copies of the application and documents attached therewith be issued to the respondents requiring them to file their response/ reply to the allegations made in the application within three weeks at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF....."

In pursuant to the direction the status of M/s Synergy Waste Management (P) Ltd, Subharti Medical College Campus, Subhartipuram, Delhi Haridwar Bypass Road, Meerut regarding Authorization under Bio Medical Waste Rules and Air & Water consent status is annexed. M/s Synergy Waste Management (P) Ltd, (CBWTF), Subharti Medical College Campus, Subhartipuram, Delhi Haridwar Bypass Road, Meerut is operating at the said place since year 2002.

With regards,
Enclosure : Status of Authorization and Consent(Air/Water)attached.

Your's faithfully,


(Vijay)
Regional Officer,
Meerut

Details of Authorization Certificates issued to M/s Synergy Waste Management (P) Ltd, Subharti Medical College Campus,Subhartipuram,Delhi Haridwar Bypass Road,Meerut are as below-

S.No.	Details of Certificate Issued vide LetterNo.& Date.	Validity	Annexure
1.	F01392/सी-1/एन/02/बा0मेडि0वेस्ट/2002 दिनांक-03/04/2002	31/12/2002	A-1
2.	F13537/सी-3/बायो-8/2003 दिनांक-10/03/2003	10/03/2004	A-2
3.	F14818/ सी-3/बायो,मेडि./8/03 दिनांक-17/04/2003	09/03/2004	A-3
4.	F35992/ सी-1/बायो,मेडिकल वेस्ट./ए-2/2004 दिनांक-27/08/2004	04/09/2005	A-4
5.	F33977/ सी-3/बायो,-8/2004 दिनांक-05/07/2004	04/07/2005	A-5
6.	F50673/ सी-3/Bio-MW-08/2002-05 दिनांक-20/09/2005	31/12/2007	A-6
7.	F32695/ सी-3/Bio-MW-08/2008 दिनांक-8/5/2008	31/12/2008	A-7
8.	F40310/ सी-3/Bio-MW/08/2008 दिनांक-12/11/2008	30/09/2009	A-8
9.	F53135/ सी-3/Bio-MW-08/2002-09/42 दिनांक-7/8/09	31/12/2009	A-9
10.	F69912/ सी-3/Bio-MW-08/2002.-10/58 दिनांक-9/7/2010	31/12/2010	A-10
11.	F81445/ सी-3/Bio-MW/08/2011 दिनांक-24/2/2011	31/12/2011	A-11
12.	F02188/ सी-3/Bio-MW/08/2011-12 दिनांक-30/3/2012	31/12/2012	A-12
13.	F30790/ सी-3/बायोमेडि-08/मेरठ/2013 दिनांक-25/9/2013	31/12/2013	A-13
14.	F45729/ C-3/Haz/Meerut-3/14 दिनांक-9/7/14	31/12/2015	A-14
15.	F81448/ C-3/BMW-08/Meerut/2016 दिनांक-13/6/16	31/12/2017	A-15
16.	H14044/ C-3/BMW-08/17 दिनांक-27/12/17	31/12/2019	A-16
17.	H46106/ C-3/BMW-08/20 दिनांक-08/1/2020	31/12/2024	A-17

Details of Consent to Operate (Air/Water) Certificates issued to M/s Synergy Waste Management (P) Ltd, Subharti Medical College Campus,Subhartipuram,Delhi Haridwar Bypass Road,Meerut are as below-

S.No.	Details of Certificate Issued vide LetterNo.& Date.	Validity	Annexure
1.	F58650 /सी-3 /जल / 368 /मेरठ / 19 / 09 दिनांक-24 / 12 / 2009	31/12/2009	B-1
2.	F58649 /सी-3 /वायु / 356 /मेरठ / 15 / 09 दिनांक-24 / 12 / 2009	31/12/2009	B-2
3.	F75516 /सी-3 /जल / 368 /मेरठ / 2010 दिनांक-09 / 11 / 2010	31/12/2010	B-3
4.	F75515 /सी-3 /वायु / 356 /मेरठ / 2 / 28 / 10 दिनांक-09 / 11 / 2010	31/12/2010	B-4
5.	F93095 / सी-3 /जल / 368 /मेरठ / 2011 दिनांक-30 / 09 / 2011	31/12/2011	B-5
6.	F93094 /सी-3 /वायु प्रदूषण / 356 /मेरठ / 2011 दिनांक-30 / 09 / 2011	31/12/2011	B-6
7.	F45721 / सी-3 /जल-368 /मेरठ / 2014-15 दिनांक-09 / 07 / 2014	31/12/2015	B-7
8.	F45722 /सी-3 /वायु प्रदूषण / 356 /मेरठ / 2014-15 दिनांक- 09 / 07 / 2014	31/12/2015	B-8
9.	F76709 / सी-3 /जल-368 /मेरठ / 2016-17 दिनांक-06 / 04 / 2016	31/12/2017	B-9
10.	F76710 /सी-3 /वायु प्रदूषण / 356 /मेरठ / 2016-17 दिनांक- 06 / 04 / 2016	31/12/2017	B-10
11.	H14062 / सी-3 /जल-368 /मेरठ / 2017 दिनांक-27 / 12 / 2017	31/12/2019	B-11
12.	H14063 /सी-3 /वायु प्रदूषण / 356 /मेरठ / 2017 दिनांक- 27 / 12 / 2017	31/12/2019	B-12
13.	38011/UPPCB/Meerut(UPPCBRO)/CTO/Water/Meerut/2018 Dated 10/01/2019	31/12/2022	B-13
14.	37983/UPPCB/Meerut(UPPCBRO)/CTO/Air/Meerut/2018 Dated 10/01/2019	31/12/2022	B-14

Note-A Show Cause Notice regarding Environmental Clearence has been issued vide letter No H39932/c-3/BMW-08/Ka.Ba/Meerut/2019 Dated 09/08/2019 to M/s Synergy Waste Management (P) Ltd, Subharti Medical College Campus,Subhartipuram,Delhi Haridwar Bypass Road,Meerut which is being annexed as annexure -C.

ANNEXURE - A1

AG : 1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.....

F01392

/सी-१/एन/०२/वा०मैडि०वेस्ट/२००२

दिनांक

Date

03-4-02

सेवा में,

श्री नीरज अग्रवाल
मै० सिनर्जिक वेस्ट मैनेजमेन्ट कां०
१/५, बी, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-११०००२

विषय जैव चिकित्सा अपशिष्ट के कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन हेतु प्राधिकार के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-जी१६४७६/सी-१/एन/वाये
मैडि०/०२/२००२/२ दिनांक २५.१.२००२ के संदर्भ में प्रेषित अपने पत्र दिनांक ३०.१.२००२ का
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे । 'बोर्ड' के संदर्भित पत्र द्वारा आपको सशर्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट
के कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन हेतु दिनांक ३१.१२.२००२ तक प्राधिकार प्रदान किया गया है। अपने
पत्र दिनांक ३०.१.२००२ से आपने यह अनुरोध किया है कि नोयडा जनपद-गौतमबुद्धनगर के साथ
जनपद-गाजियबाद को भी सम्मिलित कर दिया जाये ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार पत्र दिनांक
२५.१.२००२ में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद- गौतमबुद्धनगर एवं गाजियबाद दोनों सम्मिलित
किया जाता है।

'बोर्ड' के पत्र दिनांक २५.१.२००२ में अंकित शर्तें यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय,

(डा० सी०एस० भट्ट)
सदस्य सचिव,

प्रतिनिधि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोयडा एवं गाजियबाद को आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



मुख्य पर्यवरण अधिकारी (वृत्त-एक)



ANNEXURE-A2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० F/3537 /सी-8/आरए-8/2003
Ref. No.....

दिनांक
Date 10-3-03

सेवा मे
में.सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेजंट कम्पनी
१/५- बी,सेकेण्ड फ्लोर,आसफअली रोड
नई दिल्ली-११०००२

विषय : बायोमेडिकल वेस्ट नियम १९६८ के नियम-८ के अन्तर्गत प्राधिकार आवेदन के सम्बन्ध में

महोदय

कृपया अपने पत्र दिनांक २०-११-२००२ का संदर्भ लेने का कष्ट करें आपके आवेदन पर विचार किया गया व क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से आख्या भी प्राप्त की गई है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निम्न-प्रतिबन्ध व शर्तों के अधीन मेरठ स्थित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं व्ययन सुविधा के संचालन हेतु सशर्त प्राधिकार निर्गत किया जाता है।

- यह प्राधिकार प्रथम बार जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक ०३-३-०५ तक मेरठ जनपद के जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धीकरण एवं व्ययन हेतु ही वैध है। वैधता अवधि की समाप्ति के पूर्व अनुपालन आख्या सहित नियमानुसार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- में.सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेजंट कम्पनी द्वारा सुभारती क्र.के.बी. चैरिटेबिल ट्रस्ट लि. मेरठ के परिसर में स्थापित जैव चिकित्सा अपशिष्ट कलेक्शन शुद्धीकरण व निस्तारण व्यवस्था का संचालन जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम १९६८ के प्राविधानों की अनुसूची- I व V के अनुरूप किया जायगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की पैकजिंग व लेबलिंग नियमानुसार ही की जायगी।
- संयंत्र में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण के बाद शेष अवशेषों को उपयुक्त डिजाइन के सुरक्षित लैण्डफिल में ही निस्तारित किया जायगा व निस्तारण व्यवस्था का पूर्ण विवरण एक माह में जमा किया जाय।
- इन्सीनरेटर का संचालन मानको के अनुरूप किया जायगा व उत्सर्जन की जांच रिपोर्ट विलम्बतम तीन माह में जमा की जायगी। आटोक्लेव का संचालन भी मानको के अनुरूप किया जायगा।
- नियम-१२ क अनुरूप उक्त सुविधा में होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट की जायगी।
- स्थापित जैव चिकित्सा अपशिष्ट कलेक्शन शुद्धीकरण व निस्तारण व्यवस्था की परफारमेन्स रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में प्रस्तुत की जायगी।
- सुविधा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण के उपभोक्ताओं का पूर्ण विवरण का रिकार्ड

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522- 2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com



Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

रखा जायगा व बोर्ड के निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायगा। प्रत्येक विवरण की प्रति बोर्ड में तीन माह में जमा की जायगी।

भवदीय



(डॉ. ए. ए. सिंह)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
मुख्य पर्या. अधिकारी



ANNEXURE- A3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.....

F14818 | ए.डी. (आर.एन.) 1813-18103

दिनांक
Date

17-4-03

सेवा मे
में.सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेजंट कम्पनी
१/५- बी,सेकेण्ड फ्लोर,आसफअली रोड
नई दिल्ली-११०००२

विषय : बायोमेडिकल वेस्ट नियम १९६६ के नियम-६ के अन्तर्गत प्राधिकार आवेदन के सम्बन्ध में
महोदय

कृपया अपने पत्र दिनांक १३-३-२००३ का संदर्भ लेने का कष्ट करें आपके आवेदन पर
विचार किया गया । उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर आपकी संस्था के अनुरोध के
अनुक्रम में पूर्व निर्गत आदेश की शर्त संख्या- १ को निम्नवत संशोधित किया जाता है ,यह आदेश
पूर्व पत्र दिनांक १०.३.२००३ के साथ संलग्न रखा जाय।

१. यह प्राधिकार प्रथम बार जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक १०-३-०३ से १०-३-०४
तक मेरठ जनपद के साथ कमशः नोयडा गाजियाबाद व मुजफ्फरनगर के जैव चिकित्सा अपशिष्ट
के शुद्धीकरण एवं व्ययन हेतु वैध होगा।वैधता अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्गत प्राधिकार पत्र
दिनांक १०-३-२००३ की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय


(डा.सी.एस.भट्ट)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेरठ ,नोयडा,गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

मुख्य पर्या. अधिकारी



ANNEXURE-A4

AG : 1-21

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

F35992

संदर्भ सं०

Ref. No.

/सी-२/वाये मेडिकल वेस्ट/ए-२/२००४

दिनांक

Date

२७/८/०४

पंजीकृत

सेवा में,

श्री नीरज अग्रवाल
मै० सिनेर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट कं०
१/५ वी, द्वितीय तल, गाराफ गली रोड,
नई दिल्ली-११०००२

विषय जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण, कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन हेतु प्राधिकार।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक २४.३.०४ का संदर्भ लेना चाहें, जिसके माध्यम से आप द्वारा वाये मेडिकल वेस्ट के शुद्धीकरण, कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन किया गया है। आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या एफ३३९७७/सी-३/वाये-८/२००४ दिनांक ०४.७.२००४ के अन्तर्गत से गाजियवादा एवं गौतमबुद्ध नगर के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण, कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन हेतु मान्य शर्तों के साथ, पत्र निर्गमन की तिथि से दिनांक ०४.७.०४ तक की अवधि के लिए प्राधिकार प्रदान किया जाता है।

१. वाये मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग) नियम १९९८ के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
२. आवेदन कही आवश्यकताओं का अपशिष्ट पत्रांतरित किया जाए जिनके पास यह तो बोर्ड का प्राधिकार प्राप्त है अथवा जिनके द्वारा बोर्ड में प्राधिकार हेतु आवेदन कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी अस्पताल का अपशिष्ट एकत्रित किया जाना हो तो उसका पूर्ण ब्यौर देते हुए पाक्षिक रूप में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अनुमति-प्राप्त की जाए।
३. केमिकल ट्रीटमेंट के रिकार्ड के संबंध में रिपोर्ट एक माह के अन्दर बोर्ड को प्रेषित की जाए।
४. वेस्ट चार्जिंग इन्वेंटरी शीट के रखन पर प्राइमरी बैचर में प्रान्त ओपनिंग गेट से किये जाने के संबंध में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन आख्य एक माह के अन्दर बोर्ड को प्रेषित की जाए।
५. आटोक्लेव लगाये जाने के संबंध में बोर्ड के उपरोक्त पत्र दि० ५.७.०४ की शर्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
६. सिंक्रोमेशन, पैकेजिंग, ट्रान्सपोर्टेशन एवं स्टोरेज के संबंध में अनुपालन आख्य प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जाए।

...३/...

नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, बी ब्लॉक, विभूती नगर,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720650
फैक्स : 0522- 2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com



Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720650
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

ANNEXURE - A5
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : 1-20
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० F33977
Ref. No. सी-३/बायो.-८/२००४

दिनांक 5-7-04
Date

सेवा में,

मै. शिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी,
१/५-बी, सेलेन्ड फ्लोर, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-११०००२.

विषय: बायोमैडिकल वेस्ट नियम, १९९८ के नियम-८ के अन्तर्गत प्राधिकार आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक-२४.३.२००४ का संदर्भ लेने का कष्ट करें, आपके आवेदन पर विचार किया गया व क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ से आख्य भी प्राप्त की गई है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निम्न प्रतिबन्ध व शर्तों के अधीन मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर स्थित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धिकरण एवं व्ययन सुविधा के संचालन हेतु सशर्त प्राधिकार निर्गत किया जाता है:-

१. यह प्राधिकार जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक-४/७/०५ तक मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपद के जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धिकरण एवं व्ययन हेतु ही वैध। वैधता अवधि की समाप्ति के पूर्व अनुपालन आख्या सहित निम्नानुसार निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
२. मै. शिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा सुभारती के.के.बी. चैरिटेबिल ट्रस्ट लि. मेरठ के परिसर में स्थापित जैव चिकित्सा अपशिष्ट कलेक्शन शुद्धिकरण व निस्तारण व्यवस्था का संचालन जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, १९९८ के प्राविधानों की अनुसूची-१ व ५ के अनुरूप किया जाएगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की पैकिंग व लेबलिंग नियमानुसार ही की जाएगी।
३. संयंत्र में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धिकरण के बाद शेष अवशेषों को उपयुक्त डिजाइन के सुरक्षित लैण्डफिल में ही निस्तारित किया जाएगा व निस्तारण व्यवस्था का पूर्ण विवरण एक माह में जमा किया जाये।
४. कामन वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में आटोक्लेव की स्थापना एक माह में किया जाना सुनिश्चित करें।
५. फैसिलिटी में रिजर्वेशन हेतु, उक्त व्यवस्था शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना एक माह में की जाए।
६. निस्तारण के गैर गेट पर साईन बोर्ड तत्काल लगाया जाना सुनिश्चित करें।

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com



Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com



ANNEXURE - A6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

AG : 1-19

F.500.73

संदर्भ सं०
Ref. No.

1C-3/ B/O M.W - 08/2002-05

दिनांक
Date 20-9-05

To,

M/S Synergy Waste Management Pvt. Ltd.
1/5D, 2nd Floor, Asaf Ali Road
New Delhi

Sub: Authorization for operating facility for (Collection Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio-Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste) Rules, 1998 Amended Rule 2000.

Sir,

- Please refer to your application dated 04.07.05. Your application has been examined and authorization is being issued, subject as under:-

1. File number of authorization and date of issue. *08/ Bio-Medical AH/01 dt: 19/9/05*
2. M/S Synergy Waste Management Pvt. Ltd Subharti Institute of Medical Sciences Campus, Subharti Puram, Bye Pass Road,, Dist Meerut. is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in the premises situated as mentioned above.
3. This authorization shall be in force for a period up to 31.12.2007 from the date of issue of this letter. Unit shall apply for renewal of authorization 4 months before expiry of this authorization.
4. The facility shall include Incinerator 50 Kg per hour capacity, Autoclave 30 Kg per hour capacity, Shredder 50 Kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
5. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Biomedical waste shall be collected, transported from Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar.

Terms and conditions of Authorization

- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-I. Of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.
- vii) Bio-Medical Wastes must be segregated as per schedule-II
- viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.
- ix) Annual report shall be submitted in form-II regularly.
- x) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.



पिकप भवान, 3rd फ्लोर, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720628, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720628, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppecb.com



ANNEXURE - A7
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या F 32695
Ref. No. 10-31 B/W - M - W - 20 8/2008

दिनांक
Date 08-5-08

To, M/s. Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
115-B, 11 Floor, Asaf Ali Road,
New Delhi-110002

Sub: ~~Authorization~~ for operating facility for (Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,

Please refer to your application dated 01-12-07. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

1. File number of authorization and date of issue ... 08.12.2007. B/W. M. W. M. A. H. P. O. L. (1) dt 29/12/07
2. M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd. Subharti Institute of Medical Sciences Campus, Subharti Puram, Bye Pass Road, Distt. Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in the premises situated as mentioned above.
3. This authorization shall be in force for a period up to 31.12.2008 from the date of issue of this letter. Unit shall apply for consent Air/water and authorization for proposed site of CBMWTF before its operation.
4. The facility shall include Incinerator 50 kg per hour capacity, Autoclave 30 kg per hour capacity, Shredder 50 kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
5. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Biomedical waste shall be collected, transported from Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar.

Terms and conditons of Authorization

- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection Act 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-I Of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per other provisions of the act.
- vii) Bio-Medical Wastes must be segregated as per schedule-II
- viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.
- ix) Annual report shall be submitted in form-II regularly.
- x) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal....

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

फैक्स : 0522-2720764

ई-मेल : info@uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,

Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

Fax : 0522-2720764

e-mail : info@uppcb.com



ANNEXURE - A8
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या सं० F-403/0

Ref. No. 10.3/880.14.W/08/2008

दिनांक 12.11.08
Date

To,
M/s. Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
1/5-B, II Floor, Asaf Ali Road,
New Delhi-110002

Sub: Authorization for operating facility for (Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,
Please refer to your application dated 06-8-08. Your application has been examined and authorization is being issued as under:-

1. File number of authorization and date of issue ... 10.3/880.14.W/08/2008
2. M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd, Village- Kashi, Partapur, Gangol Road, , Distt. Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in the premises situated as mentioned above.
3. This authorization shall be in force for a period up to 30.9.2009 from the date of issue of this letter. Unit shall comply conditions issued in consent Air/water and authorization.
4. The facility shall include Incinerator 50 kg per hour capacity, Autoclave 30 kg per hour capacity, Shredder 50 kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
5. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Biomedical waste shall be collected, transported from Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahar, Baghpat upto 10,000 Beds at the approved rate by prescribed authority, but not beyond a radius of 150 Kms. within the state jurisdiction.

Terms and conditons of Authorization

- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection Act 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- v) It is duty of the authorized person to get prior permission of the prescribed authority to close down the facility
- vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule I of Bio Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per other provisions of the act.
- vii) Bio Medical Waste must be segregated as per schedule II
- viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied;
- ix) Annual report shall be submitted in form-II regularly.

- xi) All other solid and liquid wastes which are not covered under bio-medical wastes 199 must also be properly handled and managed so that no adverse impact on the environment takes place...
- xii) No untreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours after its generation. If for any reason it becomes necessary to store the waste beyond the prescribed period, permission as per provisions of the BMW rules must be obtained.
- xiii) Treated waste shall be disposed off as per provisions of the BMW rules only..
- xiv) Emission analysis report for incineration shall be sent within three months of issue of this letter..
- xv) Complete details of disposal of waste sharps/ medicines must be sent separately..
- xvi) Every year stack attached to incinerate shall be got monitored by an authorized lab approved by U.P.P.C.B..
- xvii) Needle cutters shall be installed at all places segregated waste shall be treated in autoclave, shredder, chemical treatment and incinerate Air (Pollution Control System attached to incinerate shall be in working condition and be operated all the time).
- xviii) Remaining works for secured land fill shall be completed immediately. Boundary/fencing shall also be provided in the remaining part.
- xix) Complete details of the facility alongwith specification and capacity of incinerator, thermoclave etc. certified by manufacturer shall be submitted within a month of issue of this letter along with certificate of the manufacturer regarding performance of the equipment.
- xx) Provision for graphic or computer recording devices, which will automatically, and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of autoclave/thermoclave cycle shall be done within a month of issue of this letter..
- xxi) Validation test (spore testing and routine test for thermoclave shall be performed regularly. Details regarding this as adopted shall be sent within a month..
- xxii) The list of members of CBMWF shall be sent to H.O. Lucknow and Meerut every three months..

Yours faithfully,

(Dr. C.S. Bhatt)

Member Secretary.

Copy to .
action. Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary

Chief Environmental Engineer

ANNEXURE - A9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

53135

102/Bio Med-08/2002-09/42

दिनांक 07-8-09
Date

M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
1/5-B, IInd Floor, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Authorization for operating facility for (Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Please refer to your application dated 06.1.2009. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

1. File number of authorization and date of issue. *08/Bio Medicals Att. Jcl. dt. 22/7/09*
2. M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd. Subharati Institute of Medical Sciences Campus, Subharati Puram, Byc Pass Road, Distt. Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in premises situated as mentioned above.
3. This authorization shall be in force for a period up to 31.12.2009 from the date of issue of this letter. Unit shall apply for renewal of authorization 4 months before expiry of this authorization.
4. The facility shall include Incinerator 50 Kg. per hour capacity, Autoclave 50 Kg per cycle capacity, Shredder 50 Kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
5. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Bio-medical waste shall be collected, transported for Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahar, Baghpat upto 10,000 Beds at the approved rates by prescribed authority, but not beyond a radius of 150 Kms. with in the state jurisdiction

Terms and conditions of Authorization

- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority
- iv) Any unauthorized change in personnel equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization
- v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility

एकप भवन, राष्ट्रीय हल, सी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com





ANNEXURE-A10

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REG. NO. **FC 7912**
U.P. PCB No. W-08/2002-10/58
DATE 09/08/10

To: M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
15-B, 3rd Floor, Araf Ali Road,
New Delhi

Subject: Authorization for operating facility for (Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio-Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1986 Amended Rule 2000

Please refer to your application dated 15.2.2010. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-
File number of authorization and date of issue **08 (correct) / Bio-medical waste - Act. or 20/03/10**
M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd, Subharti Institute of Medical Sciences Campus Subharti, Extn. Eye Park Road, Distt. Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in premises situated as mentioned above.

This authorization shall be in force for a period up to 31.12.2010 from the date of issue of this letter. It shall apply for renewal of authorization 4 months before expiry of this authorization.
The facility shall include Incinerator **100** Kg per hour capacity, Autoclave 50 Kg per cycle capacity, Shredder 50 Kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
Bio-medical waste shall be collected, transported for Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghazipur, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr, Baghpat upto 10,000 Beds at the approved rates by prescribed authority, but not beyond a radius of 150 Kms. with in the state jurisdiction.

Terms and conditions of Authorization

- The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
- The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- Any unauthorized change in personnel equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- Hazardous waste categories as mentioned in schedule-I of Bio-Medical Waste rule, 1986 or amended shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.
- Bio-Medical Wastes must be segregated as per schedule-II.
- Schedule-IV (Tables) shall be fully complied.
- Annual report shall be submitted in form-II regularly.
- The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.
- All other solid and liquid wastes which are not covered under bio-medical wastes 1986 should be handled and managed so that no adverse impact on the environment takes place.



ANNEXURE - A11

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदेश सं० F 21445
Ref. No. 10-3/Bio-M.W/08/2011

दिनांक 24-2-11
Date

To,

M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd.,
1/3-B, 11nd Floor, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Sub: Authorization for operating facility for (Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,

Please refer to your application dated 18.9.2010. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

File number of authorization and date of issue. 08/M.E.Exu./Bio-M.W.-order/03el/22-2-11


3. M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd. Subharati Institute of Medical Sciences Campus, Subharati Puram, Bye Pass Road, Distt. Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in premises situated as mentioned above.
4. This authorization shall be in force for a period up to 31.12.2011 from the date of issue of this letter. Unit shall apply for renewal of authorization 4 months before expiry of this authorization.
5. The facility shall include Incinerator 100 Kg. per hour capacity, Autoclave 50 Kg. per cycle capacity, Shredder 50 Kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
6. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
7. Bio-medical waste shall be collected, transported for Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahar, Baghpat upto 10,000 Beds at the approved rates by prescribed authority, but not beyond a radius of 150 Kms. with in the state jurisdiction.

Terms and conditions of Authorization

- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv) Any unauthorized change in personnel equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-1 of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.
- vii) Bio- Medical Wasted must be segregated as per schedule-11
- viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.
- ix) Annual report shall be submitted in form-11 regularly.
- x) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.

- xi) All other solid and liquid wastes which are not covered under bio-medical wastes 1998 properly handled and managed so that no adverse impact on the environment takes place.
- xii) No untreated bio medicals waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours after its generation. If for any reason it becomes necessary to store the waste beyond the prescribed period, permission as per provisions of the BMW rules must be obtained.
- xiii) Treated waste shall be disposed off as per provisions of the BMW rules only.
- xiv) The list of members of CBMWF shall be sent to H.O. Lucknow and Meerut every three months.
- xv) Emission analysis report for incineration shall be sent within three months of issue of this letter.
- xvi) Complete details of disposal of waste sharps/medicines must be sent separately.
- xvii) Every year stack attached to incinerate shall be got monitored by an authorized lab approved by U.P.P.C.B.
- xviii) Needle cutters shall be installed at all places segregated waste shall be treated in autoclave, shredder, chemical treatment and incinerate Air (Pollution Control System attached to incinerate shall be in working condition and be operated all the time)
- xix) Remaining works for secured land fill shall be completed immediately. Boundary/fencing shall also be provided in the remaining part.
- xx) Complete details of the facility along with specification and capacity of incinerator, thermoclave etc. certified of the manufacturer regarding performance of the equipment.
- xxi) Provision for graphic or computer recording devices which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of autoclave/thermoclave cycle shall be done within a month of issue of this letter.
- xxii) Validation test (spore testing and routine test for thermoclave shall be performed regularly. Details regarding this as adopted shall be sent within a month.

Yours faithfully,

(Dr. C.S. Alhat) 
Member Secretary.

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action.

Chief Environmental Officer
Circle-3



ANNEXURE - A12

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० FO 21 008/C-3/Bio-M.W./08/2011-12
Ref. No.

दिनांक
Date 30.3.12

To, M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
1/5-B, 11nd Floor, Asaf Ali Road,
New Delhi

Sub: Authorization for operating facility for (Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,

Please refer to your application dated 03-10-11 Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

2. File number of authorization and date of issue. 08/Meerut/Bio.M.W.order/03/12 dt: 29-3-12
3. M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd, Subharati Institute of Medical Sciences Campus, Subharati Puram, Bye Pass Road, Distt. Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in premises situated as mentioned above.
4. This authorization shall be in force for a period up to 31.12.2012 from the date of issue of this letter. Unit shall apply for renewal of authorization 4 months before expiry of this authorization.
5. The facility shall include Incinerator 100 Kg. per hour capacity, Autoclave 50 Kg. per cycle capacity, Shredder 50 Kg per hour capacity and Effluent Treatment Plant of 1000 lt. per day capacity.
6. This nuthorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
7. Bio-medical waste shall be collected, transported for Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahar, Baghpat upto 10,000 Beds at the approved rates by prescribed authority, but not beyond a radius of 150 Kms. with in the state jurisdiction.

Terms and conditions of Authorization


- i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
- ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii) The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv) Any unauthorized change in personnel equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-I of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.
- vii) Bio- Medical Wasted must be segregated as per schedule-I I
- viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.
- ix) Annual report shall be submitted in form-I regularly.
- x) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभुति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com

- VII. Bio-Medical Waste must be segregated as per schedule-11
- VIII. Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.
- IX. Annual report shall be submitted in form-11 regularly.
- X. The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.
- XI. All other solid and liquid wastes which are not covered under bio-medical wastes 1998 properly handled and managed so that no adverse impact on the environment takes place.
- XII. No untreated bio medicals waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours after its generation. If for any reason it becomes necessary to store the waste beyond the prescribed period, permission as per provisions of the BMW rules must be obtained.
- XIII. Treated waste shall be disposed off as per provisions of the BMW rules only.
- XIV. The list of members of CBMWF shall be sent to H.O. Lucknow every three months.
- XV. Emission analysis report for incineration shall be sent within three months of issue of this letter.
- XVI. Complete details of disposal of waste sharps/medicines must be sent separately.
- XVII. Every year stack attached to incinerate shall be got monitored by an authorized lab approved by U.P.P.C.B.
- XVIII. Needle cutters shall be installed at all places segregated waste shall be treated in autoclave, shredder, chemical treatment and incinerate Air (Pollution Control System attached to incinerate shall be in working condition and be operated all the time)
- XIX. Complete details of the facility along with specification and capacity of incinerator, thermo lave etc. certified of the manufacturer regarding performance of the equipment.
- XX. Provision for graphic or computer recording devices which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of autoclave/thermo lave cycle shall be done within a month of issue of this letter.
- XXI. Validation test (spore testing and routine test for thermoelave shall be performed regularly. Details regarding this as adopted shall be sent within a month.

Yours faithfully,


(J.S. Yadav)
Member Secretary.

Copy to:- Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action.

Chief Environmental Engineer
Circle-3



ANNEXURE A13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

F30790

Registered

संदर्भ सं०

Ref. No. /श्री-3) वापि नोडि-08/मेरु 12013

दिनांक

Date 25-9-13

To,

M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd.,
Subharti Medical College Campus,
Subhartipuram,
Meerut.

Sub: Authorization for operating facility for (Collection), Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,

Please refer to your application dated 18-09-2012. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

File number of authorization and date of issue. 08/Bmw.order/03/2013 dt. 25-9-13

1. M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd., Subharti Medical College Campus, Subhartipuram, Meerut is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in premises situated Subharti Medical College Campus, Subhartipuram, Meerut as mentioned above.
2. This authorization shall be in force up to 31/12/2013 and the unit shall apply for renewal of authorization at least 3 months before expiry of this authorization.
3. The facility shall treat total incinerable Bio- Medical Waste quantity 35.756 Tons per month and autoclave 1.244 Tons per month. The total quantity of Bio- Medical Waste shall not increase 35.756 Tons per month.
4. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.
5. Bio-medical waste shall be collected, up to 10,000 beds at the approved rates by prescribed authority, but not beyond a radius of 150 Kms. with in the state jurisdiction.

Terms and conditions of Authorization

- I. The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection Act 1986 and the rules made there under.
- II. The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- III. The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- IV. Any unauthorized change in personnel equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- V. It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- VI. Hospital waste various categories as mentioned in schedule-1 of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

ANNEXURE - A/4

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12,V, VIBHUTI KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW.

Ref. F45729 /C-3/Haz/Meerut-31/14

Dated: 9-7-14

To,

M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
Subhartipuram Medimical Collage Campus,
Subhartipuram, Meerut.

Sub: Authorization for operating facility for Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,

Please refer to your application dated 8-1-14 on the subject mentioned above. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

- 1- M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd, Subhartipuram Medical College Campus, Subhartipuram, Meerut.
is hereby granted and authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in premises situated at Subharti Medical College Campus, Subhartipuram, Meerut as mentioned above.
- 2- This authorization shall be in force up to 31-12-2015.
3. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act. 1986.

Terms and conditions of Authorization

- i The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
- ii The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.
- v It is the duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.



ANNEXURE - A15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No.

F81448

10-3/Bmw-08/Meerut/2016

दिनांक

Date 13-6-16

To,

M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd,
Subhartipuram Medical Collage Campus,
Subhartipuram, Meerut.

Sub: Authorization for operating facility for Collection, Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio Medical Wastes under the provisions of Bio-Medical Waste Rules, 1998 Amended Rule-2000.

Sir,

Please refer to your application dated 07/01/2016 on the subject mentioned above. Your application has been examined and authorization is being issued subject as under:-

- 1- M/s Synergy Waste Management Pvt. Ltd, Subhartipuram Medical College Campus, Subhartipuram, Meerut is hereby granted and authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of Bio-Medical Waste maximum quantity 40 Ton per month (including all categories of the bio medical waste) in premises situated at Subharti Medical College Campus, Subhartipuram, Meerut as mentioned above.
- 2- This authorization shall be in force up to 31-12-2017.
- 3- This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act. 1986.

Terms and conditions of Authorization

- i The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
- ii The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
- iii The person authorized shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.
- iv Any unauthorized change in personnel equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.
- v It is the duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.
- vi Hospital waste of various categories as mentioned in schedule-1 of Bio-Medical Waste rule, 1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.
- vii Bio- Medical Wasted must be segregated as per schedule-1 of BMW Rules, 1998.

ANNEXURE - A16



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H14044 / C-3 / BMW-8117

दिनांक..... 27.12.17


To,
Director,
M/s Synergy Waste Management (P) Ltd.,
Subharti Medical College Campus, Subharti Puram,
Delhi Haridwar Bypass Road,
Meerut

Sub: Authorization for operating facility for (Collection, Reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical waste) under the provision of Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.

Sir,
With reference to your application received in this office on date. 04.09.2017 an Authorization No...14).BMW:8117 dated...27.12.17.....as prescribed under rule 10 of the Bio Medical Waste Management Rules 2016.

You are requested to strictly comply with all conditions and send monthly progress report to the Board, The authorization is valid for a period up to 31-12-2019 from the date of issue.

Yours Sincerely,


(Paras Nath)

Environmental Engineer, Incharge (C-3)

Copy to: The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action and with direction to send the point wise compliance report at the earliest.


Environmental Engineer, Incharge (C-3)

ANNEXURE - A17



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H46106 / C-3 / BMW-08/20

दिनांक...08-1-2020

To,
Director,
M/s Synergy Waste Management (P) Ltd.,
Subharti Medical College Campus, Subharti Puram,
Delhi Haridwar Bypass Road,
Meerut

Sub: Authorization for operating facility for (Collection, Reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical waste) under the provision of Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.

Sir,
With reference to your application received in this office on date. 18.12.2019 an Authorization No. H46106/ C-3 / BMW-08/20 dated.....8.1.2020.....as prescribed under rule 10 of the Bio Medical Waste Management Rules 2016.

You are requested to strictly comply with all conditions and send monthly progress report to the Board, The authorization is valid for a period up to 31-12-2024 from the date of issue.

Yours Sincerely,

(N.K. Chauhan)
Chief Env. Officer (Circle-3)

Copy to: The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action and with direction to send the point wise compliance report at the earliest.

Chief Env. Officer (Circle-3)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

B-1

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या

F58650

/सी-३/जल/३६८/मेरठ/१९/०९

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 24-12-09

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा०लि०
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस
सुभारती पुग्ग, मेरठ।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य प्राप्त दिनांक ०९-६-०९

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 19/12/09/368/09 दिनांक 31/12/09 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, ५, ९ से ११ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २००९ की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

B-2

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या: FSB (A) 111/111 / वायु प्रदूषण / ३५६/मेरठ/१५/०९

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक २५-१२-०९

मे०.....
सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा०लि०

सुभांगी मेडिकल कालेज केम्पस

सुभरतीपुरम, मेरठ।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्वन्ध में।

महोदय,

प्राप्त

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक ०९-६-०९ का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या १४६ सहमति (वायु) आदेश / २४६/०९ दिनांक १५/१२/०९ को संलग्न किया जा रहा है।
आपका ध्यान क्रमांक संख्या १,३,४,६ से ९, ११ से १३ जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से, मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे वेन्चुरी स्क्रबर का प्रविधम, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्वन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

175516

संदर्भ संख्या

/सो-३/जल/३६८/गेरट/२०१०

पजीकृत

सेवा में

दिनांक ०९-११-१०

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,
सुभरती मेडिकल कॉलेज कम्पस,
सुभरतीपुरम, गेरट ।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक प्राप्त दिनांक २५.११.१०

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक ३६८/७७७/१५५/१० दिनांक ११/११/१० संलग्न है। आपका ध्यान निम्न विन्दु सं० १, ५, ६, ७, ८ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न विन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न विन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ज़ेन में अन्तिम निस्तारण विन्दु से पूर्व बी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, बी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीट्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २०१० की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अधलन-वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी रिश्ते में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

B-4

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F-25515

संदर्भ संख्या

/२०१३ वायु प्रदूषण/३५६/२४/१०

पजीकृत

सेवा में,

दिनांक ०९-११-१०

मे०.....सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि०.....
सुन्दरती डिकल लेज कैम्पस, सुभारतीपुरम,
मेरठ ।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा-२१ के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक.....२५.४.१०..... का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या.....३५६/..... सहमति (वायु) आदेश/ १९५/१०..... दिनांक ०९/११/१०..... को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या.....१, ३, ४, ६-९, ११-१३ जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न विमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से..... मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक..... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे.....वेन्चुरी.....इन्क्यूबेटर..... का प्राक्ख्यान, संवास्तविक एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संवालयन इस प्रकार से हो, जिससे वायु गण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने मोजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

B-5

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

793095

/सं-३/जल-३६८/वेर.३/२०२१

पंजीकृत

सेवा में,

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्र० लि०,
सुधारती मेडिकल कॉलेज कैम्पस, सुधारतीपुरा,
मेरठ ।

दिनांक

30/9/21

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक प्राप्त दिनांक 06.09.2021 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ ले। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक दिनांक 01.09.21 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, ५, ७ से १२ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २०१०-११ की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षांरोपण करें जिससे कि वातावरण में संधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

B-6

संदर्भ संख्या

F93094

/सी-३ / वायु प्रदूषण / ३५६/भेरठ/२०११

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

30/9/11

मे०.....सिजनर्जी...देस्ट...मै.तेजसैन्ट...मार्गलिन.....

सुभरती मेडिकल कलेज कैम्पस, सुभरतीपुरम,

भेरठ ।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।


महोदय,

प्राप्त

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक २८.१२.१० का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या ३५६/..... सहमति (वायु) आदेश / ५८१/२०११ दिनांक २७/९/११ को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या १-३; ४; ६-९; ११-१३ जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. वी. ए. क्षमता के डी. जी. रोट से संलग्न चिगनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का लै-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

B-7



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.-12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226 010

पंजीकृत

संदर्भ संख्या...../सी-3/जल-368/मेरठ/2014-15

दिनांक..... 9-7-14

सेवा में,

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस,
सुभारतीपुरम, मेरठ ।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को धारा 25/26 के अन्तर्गत
घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 02.4.14 का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र परीक्षण किया गया सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 442/368/14-15 दिनांक 07.04.14 नीचे वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. सहमति शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. उचित मात्रा में वृक्षारोपण किया जाये, जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे मांहीने भेजे।
3. उद्योग द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 यथासंशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उद्योग से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकरण के पश्चात पुनः प्रयोग/सिचाई हेतु प्रयोग किया जाये।
5. ई०टी०पी० के संचालन में खपत विद्युत माप तथा प्रतिदिन निस्तारित उत्प्रवाह के मापन हेतु लागवुक बनाया जाये।
6. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये कि आस-पास के वातावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
7. संस्था को निर्गत सशर्त वायों मेडिकल प्राधिकार में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कर आख्या प्रत्येक माह बोर्ड में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

B-8

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी०-12, वी०, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

पंजीकृत

संदर्भ संख्या..... /सी-3/वायु प्रदूषण/356/मेरठ/2014-15

दिनांक 07-7-14

सेवा में,

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस,
सुभारतीपुरम, मेरठ ।


विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 2.4.14 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 428 सहमति (वायु) आदेश /356/14-15 दिनांक 07-7-14 निम्न अंकित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. मलू गैस, प्रतिक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या प्रत्येक 06 माह में बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था का प्राविधान, संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
4. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
5. उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
7. उद्योग द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 यथासंशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. उद्योग का पर्यावरणीय दायतव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. संस्था को निर्गत सशर्त वायो मेडिकल प्राधिकार में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कर आख्या प्रत्येक माह बोर्ड में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

B-9



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.-12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226 010

संदर्भ संख्या...../सी-3/जल-368/मेरठ/2016-17

पंजीकृत
दिनांक.....

सेवा में,

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस,
सुभारतीपुरम, मेरठ ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को धारा 25/26 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 05.10.15 का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं सशर्त सहमति आदेश संख्या 369/1700/649/16 दिनांक 11/11/2016 नीचे वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. उचित मात्रा में वृक्षारोपण किया जाये, जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजे।
3. उद्योग द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 यथासंशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उद्योग से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकरण के पश्चात पुनः प्रयोग/सिचाई हेतु प्रयोग किया जाये।
5. ई०टी०पी० के संचालन में खपत विद्युत माप तथा प्रतिदिन निस्तारित उत्प्रवाह के मापन हेतु लागबुक बनाया जाये।
6. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये कि आस-पास के वातावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
7. संस्था को निर्गत सशर्त वायोमेडिकल प्राधिकार में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कर आख्या प्रत्येक माह बोर्ड में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी०-12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

B-11

पंजीकृत

संदर्भ संख्या.....H/14062/सी-3/सहमति जल-368/मेरठ/2017

दिनांक.....27/12/17

सेवा में,

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम,
मेरठ।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत
घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक-21.10.2017, बोर्ड में प्राप्ति दिनांक 26.10.2017 का संदर्भ लें।
आवेदन पत्र परीक्षण किया गया सशर्त सहमति आदेश पत्रांक...9.2.2.1.2.1844..... दिनांक...27.12.17
संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है :-

1. सहमति शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी सरिता भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।
3. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन नियमित एवं प्रभावी ढंग से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप हो। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः चक्रित एवं सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये।
4. उद्योग परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
5. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट शुल्क सत्यापन हेतु एक माह में प्रेषित की जाये।
7. उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जल गुणता रिपोर्ट किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर तीन माह में प्रेषित की जाये।
8. स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में प्रयुक्त विद्युत की माप हेतु अलग से विद्युत मीटर की स्थापना की जाये तथा लागबुक मेनटेन की जाये।

.....2/-



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी०-12, वी०, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

B-12

संदर्भ संख्या..... H114063 / सी-3 / सहमति वायु-356 / मेरठ / 2017 पंजीकृत दिनांक-..... 27.12.17

सेवा में,

मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम,
मेरठ।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक-21.10.2017, बोर्ड में प्राप्ति दिनांक-26.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करे। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सशर्त सहमति आदेश संख्या...9.2.2...सहमति (वायु) आदेश / 257.1.1...दिनांक...27.12.17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है:-

1. सहमति में दिये गये शर्तों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या त्रैमासिक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
4. उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
5. यह सहमति बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु स्थापित इंसीनरेटर क्षमता 300 किग्रा०/घंटा, श्रेडर क्षमता 300 किग्रा०/घंटा एवं आटोक्लेब क्षमता 300 किग्रा०/घंटा हेतु मान्य है।
6. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. उद्योग द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स-2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. बेबी ब्यालर से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई 11 मीटर की जाये।

B-13

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
38011/UPPCB/Meerut(UPPCBRO)/CTO/water/M
EERUT/2018

Dated : 10/01/2019

To ,
Shri NEERAJ AGRAWAL
M/s SYNERGY WASTE MANAGEMENT PVT LTD
Subharti Medical College Campus Subhartipuram Meerut, MEERUT, 250002
MEERUT

Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. SYNERGY WASTE MANAGEMENT PVT
LTD

Reference Application No :3542159

Dated :10/01/2019

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. SYNERGY WASTE MANAGEMENT PVT LTD is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tank/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure , in reference to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2020 to 31/12/2022 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

NISHI KUMAR CHAUHAN
Digitally signed
by NISHI KUMAR
CHAUHAN
Date: 2019.01.10
16:07:29 +05'30'
C.E.O
C-3

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Meerut

NISHI KUMAR CHAUHAN
Digitally signed
by NISHI KUMAR
CHAUHAN
Date:
2019.01.10
16:09:20 +05'30'
C.E.O
C-3

B-14



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. - 37983/UPPCB/Meerut(UPPCBRO)/CTO/air/MEERUT/2018

Dated : 10/01/2019

To ,

Shri NEERAJ AGRAWAL
M/s SYNERGY WASTE MANAGEMENT PVT LTD
Subharti Medical College Campus Subhartipuram Meerut, MEERUT, 250002
MEERUT

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. SYNERGY WASTE MANAGEMENT PVT LTD

Reference Application No. 3538730

Dated : 10/01/2019

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s SYNERGY WASTE MANAGEMENT PVT LTD. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
 2. This consent is valid for the period from 01/01/2020 to 31/12/2022 .
 3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
- This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

NISHI
KUMAR
CHAUHAN

Digitally signed by
NISHI KUMAR
CHAUHAN
Date: 2019.01.10
16:19:43 +0530

C.E.O
C-3

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Meerut

NISHI
KUMAR
CHAUHAN

Digitally signed by
NISHI KUMAR
CHAUHAN
Date: 2019.01.10
16:19:43 +0530

C.E.O
C-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
सेवा में

मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0,
सुभारतीपुरम, एन0एच0-58, परतापुर,
मेरठ।

दिनांक
पंजीकृत

यह कि मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, सुभारतीपुरम, एन0एच0-58, परतापुर, मेरठ जोकि सामूहिक जैव चिकित्सा उपचार व्यवस्था हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है।

यह कि मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, सुभारतीपुरम, एन0एच0-58, परतापुर, मेरठ के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 20.04.2019 एवं 25.05.2019 इकाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 09.04.2019 भेजा गया था, जिसके संबंध में इकाई द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 25.05.2019 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के साथ इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.05.2019 को किया गया। प्राप्त आख्या के अनुसार जैव चिकित्सा उपचार व्यवस्था (सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0) द्वारा वर्ष 2010 में इंसीनरेशन की क्षमता में 50 कि0ग्रा0/घंटा से 100 कि0ग्रा0/घंटा की वृद्धि की गयी तथा वर्ष 2013 में इंसीनरेशन की क्षमता में 100 कि0ग्रा0/घंटा से 300 कि0ग्रा0/घंटा की वृद्धि की गयी एवं वर्ष 2018 में 300 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के पुराने इंसीनरेटर को हटाकर उसी क्षमता का (300 कि0ग्रा0/घंटा) नया इंसीनरेटर लगाकर अपग्रेडेशन किया गया। उक्त अपग्रेडेशन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथासशोधित) के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.10.2017 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

EC will be required, as there might be configuration changes that might impact the performance efficiency of the incinerator.

उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संपटित जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 यथासशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5, संपटित जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 यथासशोधित के अन्तर्गत इकाई मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, सुभारतीपुरम, एन0एच0-58, परतापुर, मेरठ को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, सुभारतीपुरम, एन0एच0-58, परतापुर, मेरठ के विरुद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण अभियोजनात्मक कार्यवाही कर दी जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण हस्त पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवाधि में पूर्ण व संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं इकाई व इसके संचालन के प्रति उत्तरदायी समस्त व्यक्तियों का होगा।

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

2/-

(2)

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मेरठ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मेरठ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट निर्देशानुसार निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सतत अनुश्रवण क्रम में अद्यतन निरीक्षण आख्या ससमय प्रेषित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)